Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 542/2014

बउनवान
शरीफ पुत्र श्री चांद मोहम्मद जाति–मुसलमान निवासी–मोठपुर तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दुल्हेसिंह, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 03.01.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मोठपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 660/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है ना ही अपीलांट को उक्त आराजी से कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा शामिल नहीं है तथा अतिक्रमित आराजी की पेमाईश भी नहीं की है न हीं स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

Webcopy - Not Official

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 327/11 निर्णय दिनांक 16.03.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कब्जा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 327/11 निर्णय दिनांक 16.3.2011 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 298/14 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)